

फर्द अहकाम

2022/40

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमुख जयपुर

व्याजमाला बनाम राजेश सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : दावा 18 / 2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	अन्तर्गत धारा 212 अन्तर्गत आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/03/22		राजेश पारिक वकील ने दावा पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। धारा 80(2) CPC का पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दुर्ज रजिस्टर्ड है। प्रतिवादी तहसीलदार को रिपोर्ट वास्तु विस्तार जाइए पत्रावली दिनांक 25/03/22 को पेश है।	
25/3/22		प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अयकाश पर है। अतः अपेक्षित कार्यवाही हेतु दिनांक 26/4/22 को पेश हो।	
26/4/22		प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अयकाश पर है। अतः अपेक्षित कार्यवाही हेतु दिनांक 26/5/22 को पेश हो।	
26/5/22		वकील प्रार्थी उपरोक्त प्रतिवादी की तहसीलदार को पत्रावली दिनांक 22/7/22 को पेश है।	
22/7/22		प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अयकाश पर है। अतः अपेक्षित कार्यवाही हेतु दिनांक 02/09/22 को पेश हो।	
2/9/22		व. वादी उपरोक्त पत्रावली वास्तु तहसीलदार रिपोर्ट हेतु दिनांक 27/10/22 को पेश है।	

क्र. 74	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------	---------------------------	----------------------	-------------

27/10/22

प्रसाइडिंग ऑफिसर को कार्यवाही पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/22 को पत्र हो।

18/11/22

वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर 30 पत्र तदाल किये जाने व विशा का प्रस्तुत किया गया जिस पर अल पत्रावली नम्बर सी गडी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी कसद का 30 पत्र विशा किये जाने का स्वीकार किया जाना उचित उल्लेख है। वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं पावता है। अतः वादी का वाद विशा के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसल सुमार होकर 47 नम्बर से कम हो तथा दायित्व दफ्तर हो।

18/11/22

41/3/22
अग्रिम
2 डिसेंबर 22



लोदातक अहादत उत्तर - चाँदे
बिना कदम

Revd
15/11/22

आगर मत कसत करत

प्रार्थना पत्र फतवाहीतकरके
जाति

मो-कवा

उपरोक्त बिना कदम
है कि उमा प्रकर प्रसिद्ध उदहा
दिना 28-11-22 के बिना है
जिसे बिना उहे जाति हेतु कडा
लोदातक के कसत कलक उहे
जाति की बुका उहे

दिना 28-11-22

सागरमते
धार्मिकी
(आगर मत)